(2)

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

क्रमांक 1525/21—ब(एक), भोपाल, दिनांक 31/03/2021

प्रति,

1. रजिस्ट्रार जनरल,
म.प्र. उच्च न्यायालय,
जबलपुर।

2. सदस्य सचिव,
म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
574, साऊथ सिविल लाईन्स, पचपेढ़ी,
जबलपुर (म.प्र.)

विषयः—वर्ष 2021 में आयोजित होनेवाली नेशनल लोक अदालत में सम्पति कर/जलकर उपभोक्ता प्रभार एवं अन्य करों के अधिभार पर छूट देने बाबत्।

उपरोक्त विषय के संबंध में नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा वर्ष 2021 में आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के संबंध में समस्त कलेक्टर एवं समस्त महापौर/अध्यक्ष, नगर पालिका निगम/नगर पालिका/नगर परिषद/प्रशासक समस्त संभागीय संयुक्त संचालक को सम्पति कर, जल कर, उपभोक्ता प्रभार एवं अन्य करों के अधिभार पर छूट प्रदान करते हुए दिनांक 23.03.2021 को आदेश जारी किये गए है। सुलभ संदर्भ हेतु आदेश की प्रति पत्र के साथ संलग्न आपकी ओर प्रेषित है।

(प्रमुख सचिव, विधि द्वारा अनुमोदित)

31.3.21

(संतोष प्रसाद शुक्ल)
अतिरिक्त सचिव,
म.प्र. शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

ASM

DA IA
03.04.

High Court of Madhya Pradesh
JABALPUR
03 APR 2021
Reg No. 567
Receipt Clerk
High Court Jabalpur

(2)

मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

कमांक एफ 6–22/2012/18–3 भोपाल, दिनांक 23/03/2021

प्रति,

1. समस्त आयुक्त
नगर पालिक निगम
मध्यप्रदेश।

2. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद/नगर परिषद
मध्यप्रदेश।

विषय :– वर्ष 2021 में आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में सम्पत्ति कर/ जलकर उपभोक्ता प्रभार एवं अन्य करों के अधिभार पर छूट देने बाबत् ।

———000———

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण व्दारा वर्ष 2021 मे आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालतो हेतु निम्नानुसार कार्यक्रम निर्धारित किया गया है –

क्र.	माह	नियत तिथि
1	अप्रैल, 2021	10.04.2021
2	जुलाई, 2021	10.07.2021
3	सितम्बर, 2021	11.09.2021
4	दिसम्बर, 2021	11.12.2021

2– अतः म.प्र. नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 162 व 163 तथा म.प्र. नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 130, 131 तथा 132 मे निहित शक्तियो को उपयोग मे लाते हुए राज्य शासन एदत्द्वारा सम्पतिकर अधिभार (सरचार्ज) जल उपभोक्ता प्रभार/जलकर के (सरचार्ज) मे निम्न शर्तो के साथ छूट प्रदान करता है, यह छूट उन निकायो में लागू नहीं होगी जहा लोक अदालत के दिनांक को निर्वाचन की प्रकिया प्रारंभ होकर आचार संहिता प्रभावशील होगी :–

1. संपत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रू. 50,000/– (रू. पचास हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार मे 100 प्रतिशत तक की छूट।
2. संपत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रू. 50,000/– (रू. पचास हजार) से अधिक तथा रू. 1,00,000/– (रू. एक लाख) तक बकाया होने पर 50 प्रतिशत तक की छूट।
3. संपत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिनमे कर तथा अधिभार की राशि रू. 1,00,000/– (रू. एक लाख) से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत तक की छूट।
4. जल उपभोक्ता प्रभार/जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमे कर तथा अधिभार की राशि रू. 10,000/–(रू. दस हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार मे 100 प्रतिशत की छूट।
5. जल उपभोक्ता प्रभार /जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमे कर तथा अधिभार की राशि रू. 10,000/– (रू. दस हजार) से अधिक तथा 50,000/– तक बकाया होने पर मात्र अधिभार मे 75 प्रतिशत तक की छूट।
6. जल उपभोक्ता प्रभार/जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रू. 50,000/– से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट।
7. यह छूट मात्र एक बार (One Time Settlement) ही दी जायेगी।

8. दिनांक 10 अप्रैल 2021, 10 जुलाई .2021,11 सितम्बर 2021 तथा 11 दिसम्बर 2021 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के लिये यह छूट वर्ष 2019–20 तक की बकाया राशि पर ही देय होगी।

9. छूट उपरांत राशि अधिकतम दो किश्तों में जमा करवाई जा सकेगी, जिसमें से कम से कम 50 प्रतिशत राशि लोक अदालत के दिन जमा करवाना अनिवार्य होगा।

10. यह छूट उपरोक्त दिनांकों पर आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के लिये ही मान्य होगी।

11. लोक अदालत में कोविड–19 के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए मास्क लगाना,सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना तथा शासन के तत्संबंध में अन्य निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा ।

3– उपरोक्तानुसार लोक अदालतो व उनमे देय छूट का समस्त नगर निगम/नगर पालिकाए/नगर परिषदे व्यापक प्रचार प्रसार करना सुनिश्चित करे तथा नेशनल लोक अदालत के आयोजन को सफल बनावे । नेशनल लोक अदालत के दिन निराकृत प्रकरण एवं प्राप्त होने वाली राशि की जानकारी संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक के माध्यम से संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास को प्रेषित करेगें।

(डॉ. शुभाशीष बैनर्जी)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

पृ. कमांक एफ 6–22/2012/18–3, भोपाल दिनांक 23/03/2021

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव म.प्र. शासन विधि एवं विधायी कार्य विभाग।
2. सदस्य सचिव म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर।
3. आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र. भोपाल। कृपया सर्वसंबधितों को आदेश की प्रति प्रेषित कर पर्याप्त प्रचार प्रसार करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
4. समस्त कलेक्टर्स,मध्यप्रदेश,
5. विशेष सहायक माननीय मंत्रीजी, मध्य प्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग।
6. महापौर/अध्यक्ष नगर पालिक निगम/नगर पालिका/नगर परिषद/प्रशासक, म.प्र।
7. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र।
8. संयुक्त संचालक जनसम्पर्क विभाग, भोपाल।
9. श्री नरेन्द्र भगत, वेब कॉन्टेंट मैनेजर, संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास, भोपाल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

अति. सचिव (B-2)
CR 8170
e/sanjay yadav/2020/latter/2020